

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 133/12

तारीख 12-11-12

01. घनश्याम पिता लक्ष्मण जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

.....प्रार्थ

बनाम

01. भागीरथ पिता काशीराम जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

02. कन्हैयालाल उर्फ खाना पिता मोडा जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

03. कन्हैयालाल पिता भंवरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

04. देवा पिता चुन्नीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

.....विपक्षीगण

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक 8-5-12

प्रार्थना पत्र घनश्याम पिता लक्ष्मण जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम धाकर प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा कल्याणपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 124 पर अंकित आराजी संख्या 102 रकबा 1-06 बीघा भूमि विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां को पत्थरगढ़ी बाबत कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कतिबन्दी की 4-00-8 न  
की जाती है जो इस पटवार पर सबूत कसस कसस।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किय जाकर मौजा कल्याणपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 124 पर अंकित आराजी संख्या 102 रकबा 1-06 बीघा भूमि बशामलात पड़ोसियान व पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रूपय राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया